सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रकरण संख्याः– 165/प्रा0पत्र/2022 दायरा दिनांक :– 22.07.2022

GCMS ID–2022/158

1. सोजीराम आ0 रामदयाल जाति मीणा निवासी उमर हाल निवासी सिंगमा स्कूल के पास ऐजेन्सी एरिया देवली तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा राज0।
2. शंकरलाल आ0 रामदयाल जाति मीणा निवासी उमर हाल निवासी सिंगमा स्कूल के पास ऐजेन्सी एरिया देवली तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा राज0।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थीगण :– श्री महेश नामा
वकील अप्रार्थी :– परोकार सरकार

दिनांक :– 09/01/2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खाता संख्या 91 खसरा संख्या खसरा संख्या 1313 रकबा 1.1169 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1319 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1320 रकबा 0.2671 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1321 रकबा 0.2347 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1322 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1323 रकबा 0.0728 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1324 रकबा 0.4047 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1325 रकबा 0.4532 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1326 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1327 रकबा 0.8013 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1328 रकबा 0.3399 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1329 रकबा 0.2185 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1330 रकबा 0.1376 हैक्टेयर, कुल किता 13 कुल रकबा 4.2977 हैक्टेयर वो ग्राम उमर पटवार मण्डल उमर तहसील हिण्डोली में विरिथत है, जिसमें प्रार्थीगण का हिस्सा 1/12, 1/12 निहित है, प्रार्थी अपने हिस्से की भूमियों पर निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में प्रार्थीगण सोजीराम के स्थान पर श्योजी व शंकरलाल के स्थान अंकित हो रहा है। उपरोक्त भूमियों की जमाबंदी में प्रार्थीगण के पिता रामदयाल की मृत्यु के उपरान्त विरासत से वारिसान का नाम दर्ज किया गया है, जिसमें

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

दौराने नामान्तकरण सहवन से प्रार्थी सोजीराम के स्थान पर श्योजी व शंकरलाल के स्थान पर शंकर राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में दर्ज हो गया है, जो गलत है। प्रार्थीगण वर्तमान में बाहर रहते है, प्रार्थीगण के पिता रामदयाल जी की मृत्यु के बाद विरासत नामान्तकरण में उक्त नाम संहवन से राजस्व रिकार्ड की जमावंदीयों में नाम दर्ज हो गया है, जो गलत है जिसे दुरूस्त कर प्रार्थीगण के उक्त गलत नामों के स्थान पर सोजी राम व शंकरलाल अंकित किया गया जाना न्यायहित में आवश्यक है। तथा प्रार्थीगण के सभी सरकारी दस्तावेजों में उक्त सही नाम सोजीराम व शंकरलाल ही दर्ज है। प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में सोजीराम व शंकरलाल के स्थान पर शंकर, श्योजी अंकित होने से अपने खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि का सही एवं कानूनी रूप से उपयोग, उपभोग नही कर पा रहे है। और न ही प्रार्थीगण को उक्त भूमियो पर लाभ, ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड एवं अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है, इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में शंकर, श्योजी को दुरूस्त कर उसके स्थान पर प्रार्थीगण के सही नाम शंकरलाल, सोजीराम दर्ज किया जाना प्रार्थनीय है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरूस्ती करने हेतु कई बार लिखित व मौखिक रूप से हल्का पटवारी व अप्रार्थी एवं उसके अधीनस्थ कर्मचारियों से निवेदन किया परन्तु प्रार्थीगण के निवेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया तथा अप्रार्थी व उनके अधीनस्थ कर्मचारियों ने प्रार्थीगण को कहा कि बाद न्यायालय आदेश लाने के उपरान्त ही इन्द्राज दुरूस्त किया जा सकता है, इसलिए प्रार्थीगण के पास उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने के सिवाय अन्य कोई कानूनी विकल्प नही रहा है। उपरोक्त भूमिया वाके ग्राम उमर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 में होन से श्रीमान को इस प्रार्थना पत्र को सुनने का श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क पर श्रीमान के समक्ष पेश है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमिया वाके ग्राम उमर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 के राजस्व रिकॉर्ड में शंकर, श्योजी को विलोपित कर उक्त स्थान पर प्रार्थीगण के सही नाम शंकरलाल, सोजीराम राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में दर्ज किया जावे तथा अन्य न्यायोचित सहायता प्रार्थीगण के पक्ष में सुलभ हो प्रार्थीगण को प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा जबाव पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रकरण में अंकित भूमि में दर्ज शंकर के स्थान पर शंकरलाल व श्योजी के स्थान पर सोजीराम किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रकरण में तहसीलदार हिण्डोली के पत्रांक :– राजस्व/24/4001 दिनांक :– 31.11.2024 द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम उमर के खाता संख्या 91 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 1313, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330 कुल किता 13 कुल रकबा 4.2977 हैक्टेयर वाके ग्राम उमर में दर्ज शंकर के स्थान पर शंकरलाल व श्योजी के स्थान पर सोजीराम दर्ज करवाना चाहते है। मौके पर उपस्थित सहखातेदारान/मौतबिरानों से जानकारी करने पर बताया गया कि शंकर व शंकरलाल एक ही व्यवित का नाम होना एव श्योजी व

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

सोजीराम एक ही व्यक्ति का नाम होना बताया है, एवं उक्त शुद्धि किए जाने में अपनी सहमति होना बताया है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि शंकर व शंकरलाल एक ही व्यक्ति का नाम है एव श्योजी व सोजीराम एक ही व्यक्ति का नाम है जिन्हें मुताबिक प्रार्थना के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि ''भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।''

वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं जबाव पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड पेश किए है जिनमें प्रार्थीगण का नाम शंकरलाल व सोजीराम दर्ज है, जो कि वर्तमान जमाबंदी में शंकर पिता रामदयाल व श्योजी पिता रामदयाल अंकित है। प्रकरण में अप्रार्थी जबाव पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर भूमि खाता संख्या 91 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 1313, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330 कुल किता 13 कुल रकबा 4.2977 हैक्टेयर वाके ग्राम उमर पटवार मण्डल उमर तहसील हिण्डोली में दर्ज शंकर पुत्र रामदयाल के स्थान पर शंकरलाल पुत्र रामदयाल व श्योजी पुत्र रामदयाल के स्थान पर सोजीराम पुत्र रामदयाल शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 09.01.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

09/01/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी